

क्रमांक 1557/2134/2015/ई/चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29.6.2015

आयुक्त,
संस्थागत वित्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:-राज्य शासन द्वारा एम.एस.एम.ई.वेंचर केपिटल फण्ड में निवेश बावत।

---0---

राज्य शासन द्वारा एम.एस.एम.ई.वेंचर केपिटल फण्ड में मध्यप्रदेश वेंचर फायनेंस लिमिटेड के माध्यम से रूपये 20.00 करोड़ (रूपये बीस करोड़ मात्र) के निवेश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2/ उपरोक्त व्यय बजट वर्ष 2015-16 में मांग संख्या-6-दो-पूजी अनुभाग-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7624-एम.एस.एम.ई.वेंचर केपिटल फण्ड में निवेश-51-अन्य प्रभार मद के अंतर्गत विकल्पनीय होगा।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग (बजट-6) के यू.ओ.क्रमांक 369/आर-577/ब-6/2015, दिनांक 25.06.2015 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(श्रृंखला संगीने)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक

पृ.क्रमांक /2134/2015/ई/चार,

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), मध्यप्रदेश ग्वालियर।
 2. अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.वेंचर फायनेंस लिमिटेड, भोपाल।
 3. अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.वेंचर फायनेंस ट्रस्टी लिमिटेड, भोपाल।
 4. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल कोषालय, भोपाल।
 5. अवर सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, बजट-6, मंत्रालय, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग